#### भा मा ब्यूरो मु /प्रशा /परिपत्र (07) / 2018

दिनांक: 09 अप्रैल 2018

## भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन विभाग) परिपत्र

विषयः अनुभाग अधिकारी और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के आवास पर समाचार पत्र की आपूर्ति।

पिछले परिपत्र सं. मा.स.वि/विविध दिनांक 17 अप्रैल 2000 एवं संख्या एकाउंट्स/4:1 दिनांक 01 जून 2005 के अधिक्रमण में, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए परिचालित किया जाता है कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि समाचार पत्र की मासिक प्रतिपूर्ति कराने की वर्तमान रीति के स्थान पर, पात्र अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाणन के आधार पर, नीचे दी गई दरों पर समाचार पत्र हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी:

क्रम	अधिकारी का स्तर	प्रति माह की जाने वाली प्रतिपूर्ति
सं.		(₹.)
(i)	महानिदेशक-बीआईएस (सचिव के समकक्ष)	वास्तविक के अनुसार
(ii)	महानिदेशक-बीआईएस (अपर सचिव के समकक्ष)	1100.00
(iii)	अपर महानिदेशक और वैज्ञानिक-जी / संयुक्त सचिव के	850.00
	समकक्ष	
(iv)	अनुभाग अधिकारी या समकक्ष या उससे ऊपर के स्तर	500.00
	के सभी अधिकारी	

- 2. प्रतिपूर्ति के लिए अर्ध वार्षिक आधार पर अधिकारियों द्वारा अनुबंध (संलग्न) के अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि समाचार पत्र पर यह खर्च हुआ है।
- 3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

हस्ता/-एन. विट्टोबा निदेशक (प्रशासन)

हमारा संदर्भः प्रशासन/01/21/2014

परिचालितः बीआईएस इंट्रानेट के माध्यम से बीआईएस मुख्यालय के सभी विभाग/ क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/प्रयोगशालाएँ/एनआईटीएस

### <u>भारतीय मानक ब्यूरो</u> BUREAU OF INDIAN STANDARDS

विभाग/Depar	tment of
	अर्ध-वार्षिक आधार पर कार्यालय को विवरण प्रस्तुत किए जाएं /Statement to be alf-yearly basis by the Officer to the Office)
आवेदक का नाम,	Name of the Applicant
पदनाम/ Design	nation
विभाग/ Depart	ment
वेतन लेवल एवं व	मूल वेतन (रु.)/Pay Level & Basic Pay (Rs.)
में प्रमाणित करत	ा हूँ कि मैने निम्नांकित माह के लिए समाचार पत्र खरीदने के लिए रुपये
	certify that I have spent Rs towards purchase
	(s) for the month of:
	निवरी – जून/January - June 20
	ग/OR नुलाई - दिसंबर/July - December 20
	न्प पर चिह्न लगाएँ/only one option is to be ticked]
गया है, ये मेरे द	नरता हूँ कि (i) यह समाचार पत्र, जिनके संबंध में मेरे द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया वारा खरीदे गए हैं। (ii) यह राशि जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया जा रहा है , इसका न रूप में मेरे द्वारा किया गया है और किसी अन्य स्रोत से इसका दावा नहीं किया गया एगा।
claimed, is/ar	are that (i) The Newspaper(s) in respect of which reimbursement is e purchased by me. (ii) The amount for which reimbursement is being ctually been paid by me and has not/will not be claimed by any other
दिनांक/Date: _	
	हस्ताक्षर/Signature:
	नाम/Name:

Date: 09 April 2018

# BUREAU OF INDIAN STANDARDS (ADMINISTRATION DEPARTMENT)

#### CIRCULAR

Subject: Supply of Newspaper at Residence of Officers of the level of Section Officer and above.

In supersession of earlier Circulars No. HRD/Misc dated 17 April 2000 and No. Accts/4:1 dated 01 June 2005, it is circulated for information to all concerned that based on the Government of India's Guidelines, the Competent Authority has decided that in place of the existing practice of getting monthly reimbursement of newspaper, reimbursement for newspaper may be made at the rates mentioned below based on the certification given by the entitled officer:

S1. No.	Level of Officer	Reimbursement to be made per month (Rs.)
(i)	DG-BIS (Secretary Equivalent)	As per Actual
(ii)	DG-BIS (Addl. Secretary Equivalent)	1100.00
(iii)	ADG & Sc-G/ Joint Secretary	850.00
	Equivalent	
(iv)	All Officers of the level of Section	500.00
	Officer or equivalent & above.	

- 2. A Certificate as per the Annexure (attached), to the effect that expenditure has been incurred on newspaper shall be provided by the officers on half yearly basis to the office for reimbursement.
- 3. This order will be effective with immediate effect.

Sd/-

(N. Vittoba)

Director (Administration)

Our Ref: ADMN/01/21/2014

Circulated to: All Departments of BIS at HQs/ROs/BOs/Labs/NITS through BIS intranet